राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 84/1993

1. श्रीमती चापली उर्फ चंपा पत्नी बीरबल, निवासी भोड़ेसर, वर्तमान में करंगा बड़ा, पुलिस थाना फतेहपुर, जिला सीकर।
2. शिशपाल पुत्र कानाराम, निवासी मंडीवाल की ढाणी, पुलिस थाना फतेहपुर, जिला सीकर। (वर्तमान में जिला जेल, सीकर में)।

---अभियुक्त-अपीलकर्ता।

बनाम

राजस्थान राज्य।

---गैर-याचिकाकर्ता।

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री रिनेश गुप्ता, अधिवक्ता।
प्रतिवादी के लिए	:	श्री यशवंत कांखेडिया, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति उमा शंकर व्यास

निर्णय / आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित किया गया था :: 06/03/2024 को

घोषित किया गया :: 14/03/2024 को

1. अपीलार्थी-अभियुक्तों (आगे "अभियुक्तगण" कहा जाएगा) की ओर से यह आपराधिक अपील विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 25/91 (40/91) राज्य बनाम चपली उर्फ चंपा व शिशपाल में पारित निर्णय दिनांक 27-02-1993 (आगे "अपीलाधीन निर्णय" कहा जाएगा) से व्यथित होकर प्रस्तुत की

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

गई है, जिसके माध्यम से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध व दंडित किया गया है:

दोषसिद्धि व दंडादेश

क्रम	**अभियुक्त/अभियुक्तगण**	**दोषसिद्धि व दंडादेश**
1-	श्रीमती चपली उर्फ चंपा पत्नी बीरबल	**धारा 307 भा.दं.सं. -** पाँच वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह का साधारण कारावास। **धारा 326 भा.दं.सं. -** दो वर्ष के कठोर कारावास, 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह का साधारण कारावास। **धारा 324 भा.दं.सं. -** एक वर्ष के कठोर कारावास, 200/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड का भुगतान न करने पर एक माह का साधारण कारावास।
2-	शिशपाल पुत्र कानाराम	**धारा 307/34 भा.दं.सं. -** पाँच वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह का साधारण कारावास। **धारा 326/34 भा.दं.सं. -** दो वर्ष के कठोर कारावास, 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह का साधारण कारावास। **धारा 324/34 भा.दं.सं. -** एक वर्ष के कठोर कारावास, 200/- रुपये अर्थदंड,

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

क्रम	अभियुक्त/अभियुक्तगण	दोषसिद्धि व दंडादेश
		अर्थदंड का भुगतान न करने पर एक माह का साधारण कारावास।

2-- विचारण न्यायालय द्वारा मूल कारावास की सजा साथ-साथ चलने तथा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि मूल कारावास की सजा में समायोजित किए जाने का आदेश दिया गया है।

3-- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गई एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4-- संक्षेप में सुसंगत तथ्य यह है कि दिनांक **30-01-91** को पुलिस थाना फतेहपुर के हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह द्वारा **धानुका अस्पताल, फतेहपुर** में उपचाराधीन व भर्ती आहत बीरबल सिंह का **पर्चा बयान प्रदर्श पी-2** लेखबद्ध किया गया, जिसमें कथित रूप से आहत द्वारा यह कथन किया कि वह अपनी भेड़ बकरी लेकर **करंगा बड़ा रोही** में गाँव के पश्चिम तरफ (जिसे आगे **घटनास्थल** कहा जाएगा) चला गया था तब सुबह 10 बजे उसकी पत्नी चापली और एक अन्य व्यक्ति ने हाथ में गंडासा लेकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके मुँह, नाक, सिर तथा हाथों पर चोटें आईं। वह गिर गया, तब दोनों अभियुक्त भाग गए। वह अपने बहनोई मोहन के घर आया, जहाँ से किशोर और सुखदेवरराम उसे इलाज के लिए फतेहपुर अस्पताल लाए। उसके काफी खून निकला। उसकी पत्नी बदमाश और बदचलन है, उसे जान से मारने की नीयत से यह मारपीट की गई।

5-- इस पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/91 पुलिस थाना फतेहपुर में दर्ज की गई। उसी दिन मृतक के मृत्युकालिक कथन श्री प्रदीप शास्त्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्श पी-3 लेखबद्ध किए, जिसमें उसने प्रकट किया कि अभियुक्त शिशपाल ने उसे पकड़ा तथा उसकी पत्नी चापली ने गंडासे से मारपीट की। बाद में अनुसंधान के बाद सिर्फ चंपा उर्फ चापली के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326 और 324 के आरोप में आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु अभियुक्त चापली के साथ-साथ अभियुक्त शिशपाल के विरुद्ध भी

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 326/34 और 324/34 के आरोप में संज्ञान लिया गया। प्रकरण उपार्पित (कमिट) होने के बाद इसी अनुसार आरोप विरचित कर अन्वीक्षा पूर्ण कर अभियुक्तगण को उपरोक्तनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया गया।

6-- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि पुलिस द्वारा लेखबद्ध पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 घटना के प्रथम वृत्तांत के रूप में है तथा उसमें चंपा उर्फ चापली के साथ जिस अन्य व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, उसका नाम प्रकट नहीं किया गया है। दोनों द्वारा मारपीट करने का कथन किया गया है, जबकि मजिस्ट्रेट को दिए गए कथन प्रदर्श पी-3 में अभियुक्त शिशपाल द्वारा आहत को पकड़ने तथा चापली द्वारा मारपीट करने का कथन किया गया है। इस प्रकार प्रदर्श पी-2 व 3 में परस्पर विरोधाभास और विसंगति है। गवाह पी.डब्ल्यू. 7 सुखदेवरराम ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह परीक्षित नहीं हुआ है। यह भी निवेदन किया गया है कि अभियुक्त शिशपाल उस समय पुलिसकर्मी था और घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर फतेहपुर न्यायालय में अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु चालानी गार्ड के रूप में ड्यूटी पर कार्यरत था। वह उस समय घटनास्थल पर नहीं होकर न्यायालय में मौजूद था और उसे झूठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन कहानी झूठी और संदिग्ध है, अतः अभियुक्तों की दोषसिद्धि विधिसम्मत नहीं है। अंत में अपील स्वीकार कर अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

7-- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन है कि फतेहपुर आज भी छोटा कस्बा है, उस समय अत्यंत छोटा कस्बा था। अभियुक्त शिशपाल फतेहपुर में ही पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था और उसे बचाने के लिए उसके साथी पुलिसकर्मी गोविंद सिंह पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा जानबूझकर अभियुक्त शिशपाल का नाम आहत द्वारा बताने के बावजूद नहीं लिखा गया है। अभियुक्त शिशपाल घटना के समय अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु चालानी गार्ड में नियुक्त हो, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उनका यह बचाव पूर्णतः झूठा और काल्पनिक है। पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद अभियुक्त शिशपाल के विरुद्ध आरोप-पत्र पुलिस द्वारा पेश नहीं किया गया है, जो पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करता है। पुलिस की लापरवाही या मिलीभगत के कारण अभियोजन कहानी को अस्वीकार किया जाना भी उचित नहीं है। अभियोजन

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

कहानी की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। अंत में, अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

8-- वर्तमान मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा हो, ऐसा उल्लेख पुलिस द्वारा लेखबद्ध पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 तथा मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध पर्चा बयान प्रदर्श पी-3 में नहीं है। पी.डब्ल्यू.-3 बीरबल आहत इस प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह है जिसने जाहिर किया है कि उसकी पत्नी का अभियुक्त शिशपाल से अवैध संबंध था, वह पीहर में रह रही थी। घटना से 15 दिन पहले भी वह ससुराल गया था तो कमरा अंदर से बंद था तथा शिशपाल और चापली चारपाई पर बैठे थे। आहत द्वारा टोकने पर शिशपाल ने आपत्ति की थी और तू-तू, मैं-मैं हो गई थी। वर्तमान घटना के संबंध में गवाह का शपथ कथन है कि वह दिन के 10-11 बजे घटनास्थल पर भेड़-बकरियाँ चरा रहा था, तब अभियुक्त शिशपाल ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तथा उसकी पत्नी चापली ने गंडासे से उसके सिर, मुँह, जबड़े और गले आदि पर मारा। दोनों अभियुक्त उसे मरा हुआ छोड़कर भाग गए। उसकी पत्नी चापली का अभियुक्त शिशपाल से अवैध संबंध है। उसके साथ जब मारपीट हुई तब घटना किसी ने देखी या नहीं, उसे पता नहीं। घटना के बाद वह हिम्मत करके गांव के गुवाड़ में आ गया। चोटों से काफी खून आया था। सुखदेव, रामकुमार और किशोर उसे मोटर पर बैठाकर फतेहपुर अस्पताल लाए। फतेहपुर अस्पताल में पुलिस ने उसका बयान लिया था, जिसमें दोनों अभियुक्तों के नाम लिखा दिए थे। सीकर में मजिस्ट्रेट साहब ने उसी दिन उसके प्रदर्श पी-3 बयान लिए, जिस पर 'ए' से 'बी' तक उसके हस्ताक्षर हैं।

9-- प्रतिपरीक्षा में आहत पी.डब्ल्यू.-3 बीरबल जाहिर करता है कि शिशपाल पुलिसकर्मी है, इसलिए सह-पुलिसकर्मी ने शिशपाल का नाम पर्चा बयान में नहीं लिखा। लेकिन उसी दिन दोबारा मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक बयान हुए थे, जिसमें शिशपाल द्वारा उसके दोनों हाथ पकड़ने और चापली द्वारा गंडासे से मारपीट करने की बात लिखा दी थी। पुलिस के पर्चा बयान में दोनों अभियुक्तों द्वारा गंडासे से मारपीट करने का तथ्य नहीं लिखाया गया था। शिशपाल घटनास्थल पर उस समय नहीं हो और चालानी गार्ड फतेहपुर में सरकारी ड्यूटी पर हो और उसे रंजिश से फंसाया गया हो, इन सभी सुझावों को गवाह ने इंकार किया है।

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

10-- पी.डब्ल्यू.-7 सुखदेवरराम वह व्यक्ति है जो आहत के अपने बहनोई के यहाँ पहुँचने के बाद उसे इलाज हेतु अस्पताल ले गया था। यह गवाह मुख्य परीक्षण में जाहिर करता है कि अस्पताल में पुलिस वाले ने आहत के पर्चा बयान लिए थे। उस समय आहत ने चापली का नाम लिया था और शिशपाल का भी नाम ले रहा था और वह उस समय थोड़ी दूर खड़ा था। बीरबल उस समय धोधा बोल रहा था, उसकी हालत कमजोर थी, इसलिए साफ सुनाई नहीं दिया। इस कथन के आधार पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में गवाह जाहिर करता है कि शिशपाल का नाम उसे सुनाई नहीं दिया था। इस बिंदु पर, गोविंद सिंह, पी.डब्ल्यू.-2, जो पर्चा बयान लिखने वाला पुलिसकर्मी है, जाहिर करता है कि वह उस दिन पुलिस थाना फतेहपुर में हेड मुहर्रिर था। अस्पताल में भर्ती बीरबल के बयान प्रदर्श पी-2 उसने उसके कहे अनुसार लिखे। बीरबल के हाथ में बोतल लगी हुई थी, इसलिए उसकी अंगूठा निशानी करवाई थी। बयान लेने के समय वह और बीरबल दोनों ही थे और बाकी लोग बाहर खड़े थे। यह सुझाव कि उसने पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 अपनी मर्जी से लिखे हों, को इनकार करते हुए जाहिर करता है कि चिकित्सक के हस्ताक्षर पर्चा बयान पर जरूरी नहीं होते, इसलिए नहीं करवाए।

11-- पी.डब्ल्यू.-1 राजबाला, पुलिस कांस्टेबल, अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में औपचारिक कथन करती है और प्रतिपरीक्षा में जाहिर करती है कि चापली का नारायण नामक व्यक्ति से संबंध होना चापली की माता ने बताया था। पी.डब्ल्यू.-4 भूरा राम जाहिर करता है कि घटनास्थल पर पुलिस ने उसके सामने खून से सनी और सादी मिट्टी प्रदर्श पी-5 के जरिए जब्त की थी। पी.डब्ल्यू.-5 बोदूराम अभियुक्त चापली से एक गंडासा बरामद होने के तथ्य की पुष्टि करता है। पी.डब्ल्यू.-6 हीरा राम सुनी-सुनाई गवाही देता है और जाहिर करता है कि घटना के दिन उसने बीरबल को गाँव में देखा था, चापली को भी देखा था और बाद में सुना कि बीरबल को काट दिया।

12-- पी.डब्ल्यू.-9 डॉ. सी.एल. शर्मा का कथन है कि वह दिनांक 30-01-91 को राजकीय धानूका अस्पताल, फतेहपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन 2:30 बजे आहत बीरबल का चिकित्सीय परीक्षण किया था तो निम्न चोटें पाई गईं:

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

*1. कटा हुआ घाव 10 **X** 1-1/2 इंच **X** हड्डी तक गहरा, चेहरे के दाहिनी तरफ नाक के ऊपर बाएं गाल से दाहिने कान की तरफ एक चोट तिरछी आई हुई थी।*

*2. कटा हुआ घाव 2 **X** 1-1/2 इंच **X** हड्डी तक गहरा, नीचे के जबड़े और दाढ़ी पर एक, चोट की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ थी।*

*3. कटा हुआ घाव 3 **X** 1/4 इंच **X** मांस की गहराई तक, गर्दन पर बीच से बायीं तरफ बाएं कान तक।*

*4. कटा हुआ घाव 3 **X** 1/4 इंच **X** हड्डी तक गहरा, सिर में बाएं पेरिएटल एरिया पर।*

*5. कटा हुआ घाव 2-1/2 **X** 1/4 इंच **X** स्कैल्प तक गहरा, सिर के पीछे के हिस्से में।*

*6. कटा हुआ घाव 2-1/2 **X** 1/4 इंच **X** मांस तक गहरा, बायीं कोहनी पर।*

*7. कटा हुआ घाव 1 **X** 1/4 इंच **X** मांस तक गहरा, दाहिने हाथ पर डॉर्सल एस्पेक्ट के पृष्ठ भाग पर।*

13-- गवाह यह भी जाहिर करता है कि यह सभी चोटें धारदार हथियार से आई थीं तथा बाद में एक्स-रे से चोट संख्या 1, 4 और 5 गंभीर प्रकृति की पाई गई थीं। साथ ही, आहत के सिर की चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

14-- गवाह पी.डब्ल्यू.-8 डॉ. ओ.पी. खंडेलवाल, जो रेडियोलॉजी में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के रूप में कार्यरत था, जाहिर करता है कि दिनांक 01-02-91 को आहत बीरबल के सिर और छाती का एक्स-रे अपनी निगरानी में करवाया तो सिर की हड्डियों में एक से अधिक अस्थिभंग थे, लेकिन छाती में कोई अस्थिभंग नहीं था।

15-- गवाह पी.डब्ल्यू.-10 सोमदत्त अनुसंधान अधिकारी है जो अनुसंधान के दौरान अभियुक्त चापली की सूचना के अनुसार एक गंडासा प्रदर्श पी-14 के जरिए बरामद करने, गवाहों के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध करने आदि का कथन करता है।

16-- गवाह पी.डब्ल्यू.-11 चतरसिंह भी अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-4 बनाने, खून से सनी और सादी मिट्टी प्रदर्श पी-5 के जरिए जब्त करने,

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

आहत बीरबल के कथन अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता उसके कहे अनुसार लेखबद्ध करने, चापली को प्रदर्श पी-1 फर्द गिरफ्तारी के माध्यम से गिरफ्तार करने, गंडासे की बरामदगी बाबत चापली द्वारा सूचना देने आदि का कथन करता है। प्रतिपरीक्षा में गवाह जाहिर करता है कि घटनास्थल से थाने की दूरी 15 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में 15 मिनट का समय लगता है।

17-- अभियुक्त द्वारा यह बचाव लिया गया है कि वह घटनास्थल पर उस समय नहीं होकर पुलिसकर्मी के रूप में चालानी गार्ड में फतेहपुर न्यायालय में 15 किलोमीटर दूर मौजूद था। इस संबंध में स्वयं अभियुक्त बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं हुआ है, लेकिन डी.डब्ल्यू.-1 दीनदयाल, जो न्यायालय में कार्यरत आशुलिपिक है, जाहिर करता है कि दिनांक 30-01-91 को अभियुक्त शिशपाल को 9:45 बजे के आसपास न्यायालय में चालानी गार्ड के रूप में देखा था। प्रतिपरीक्षा में गवाह जाहिर करता है कि वह अभियुक्त शिशपाल को नाम से नहीं जानता और कोई मित्रता भी नहीं है।

18-- गवाह डी.डब्ल्यू.-2 सावंतसिंह जाहिर करता है कि दिनांक 30-01-91 को वह चालानी गार्ड में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था। अभियुक्तों की न्यायालय में पेशी करवाने हेतु उसके साथ शिशपाल, सुमेर सिंह, त्रिलोकराम, नाथूसिंह, मानसिंह और मेगसिंह थे। सुबह 10 बजे शिशपाल उसके साथ ही था। प्रतिपरीक्षा में गवाह जाहिर करता है कि कांस्टेबल मेगसिंह गैर हाजिर हो गया था। शिशपाल के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा हो, इस बाबत तथा विभागीय जांच में गवाही देने के संबंध में यह गवाह अनभिज्ञता जाहिर करता है।

19-- डी.डब्ल्यू.-3 त्रिलोकराम कांस्टेबल जाहिर करता है कि वह भी उस दिन चालानी गार्ड के रूप में तैनात था। उसके साथ शिशपाल, मेगसिंह, मानसिंह, नाथूसिंह और सुमेरसिंह थे। उनके इंचार्ज सावंतसिंहजी भी उनके साथ थे। शिशपाल के विरुद्ध हत्या के मुकदमे के बारे में गवाह अनभिज्ञता जाहिर करता है। गवाह त्रिलोकराम तथा सावंतराम अभियुक्त के सह-पुलिसकर्मी होने के कारण झूठा बयान दे रहे हों, इस सुझाव से भी इनकार किया है।

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

20-- जहाँ तक अभियुक्त के बचाव और घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होने का संबंध है, इस संबंध में स्वयं अभियुक्त बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं हुआ है। घटनास्थल से फतेहपुर न्यायालय की दूरी 15 किलोमीटर और 15 मिनट की थी, अतः घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति असंभव हो, यह नहीं माना जा सकता। प्रत्येक पुलिसकर्मी के अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पदस्थापन आदेश होता है तथा ड्यूटी पर रवाना होने और वापस आने पर संबंधित पुलिस थाने या पुलिस लाइन में रोजनामचे में पुलिस नियमों के अनुसार रवानगी और आमद की प्रविष्टि होती है। अभियुक्त शिशपाल स्वयं पुलिसकर्मी है तथा उसे इस सभी प्रक्रिया का पूर्णतः ज्ञान है। अभियुक्त शिशपाल इस बचाव के लिए सहज रूप से ही अपना पदस्थापन आदेश और रोजनामचे की प्रविष्टि आदि प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन वह सर्वोत्तम साक्ष्य अभियुक्त द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं की गई। अतः ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रहता है। जहाँ सर्वोत्तम दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्त प्रस्तुत कर सकता था और वह उसके कब्जे और नियंत्रण में थे और पेश नहीं की गई है तो यह विपरीत उपधारणा ली जाएगी कि ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्त के बचाव का समर्थन नहीं करती थी, इसलिए यह साक्ष्य जानबूझकर रोकी गई है और यह परिस्थिति अभियुक्त के बचाव को निराधार बनाती है।

21-- डी.डब्ल्यू.-2 सावंतसिंह और डी.डब्ल्यू.-3 त्रिलोकराम और एक अन्य पुलिसकर्मी मेगसिंह का भी चालानी गार्ड के रूप में ड्यूटी पर कार्यरत होना बताया है। यह दोनों गवाह मुख्य परीक्षण में जाहिर करते हैं कि मेगसिंह भी ड्यूटी में साथ थे, लेकिन सावंतसिंह प्रतिपरीक्षा में जाहिर करता है कि मेगसिंह गैर हाजिर हो गया था, जबकि त्रिलोकराम, मेगसिंह की उपस्थिति प्रतिपरीक्षा में भी स्वीकार करता है। अतः ऐसी स्थिति में वास्तव में चालानी गार्ड में कौन-कौन उपस्थित थे, इस बाबत विरोधाभास है। जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है कि एक बार यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त चालानी गार्ड में उस समय कार्यरत था, तब भी वह वास्तव में न्यायालय में मौजूद रहा हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा, घटनास्थल से न्यायालय की दूरी 15 किलोमीटर और 15 मिनट की है, अतः घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति असंभव हो, यह स्थिति भी प्रकट नहीं हो रही है। विचारण न्यायालय का भी इसी अनुसार अभिमत रहा है, जो पूर्णतः तथ्यों के अनुरूप है और यह अभिमत पुष्ट होने योग्य है।

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

22-- जहाँ तक स्वतंत्र गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं किए जाने का संबंध है, इस प्रकरण में स्वीकृत रूप से घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, अतः ऐसी स्थिति में उनके परीक्षण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जहाँ तक पर्चा बयान प्रदर्श पी-2 जो उसी थाने के पुलिसकर्मी गोविंद द्वारा लिखा गया है, में अभियुक्त शिशपाल का नाम नहीं होने का संबंध है, इस संबंध में स्पष्ट है कि फतेहपुर में ही हेड कांस्टेबल गोविंद तथा अभियुक्त शिशपाल पुलिसकर्मी के रूप में पदस्थ थे और आहत बीरबल का स्पष्ट कथन रहा है कि उसने शिशपाल का नाम उसके हाथ पकड़ने में तथा उसकी पत्नी द्वारा मारपीट करने के रूप में लिखा दिया था, लेकिन अभियुक्त पुलिसकर्मी होने के नाते शिशपाल का नाम नहीं लिखा गया। इस प्रकरण में घटना के दिन ही तथा प्रदर्श पी-2 पर्चा बयान पुलिस द्वारा लेखबद्ध करने के तुरंत पश्चात उसी दिन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्श पी-3 पर्चा बयान आहत का लेखबद्ध किया गया है, जिसमें आहत ने स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि अभियुक्त शिशपाल और उसकी पत्नी घटनास्थल पर साथ आए थे। शिशपाल ने उसके पीछे से हाथ पकड़ लिए, उसकी पत्नी चापली के पास गंडासा था और उसको जान से मारने की नीयत से गंडासे से शरीर के विभिन्न स्थानों पर चोटें पहुँचाकर मारपीट की, जिससे सिर, मुँह, नाक, हाथ आदि पर चोटें आईं। अतः स्पष्ट है कि शिशपाल को आहत द्वारा बाद में सोच-समझकर फँसाया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है।

23-- अभियुक्त शिशपाल के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालिक कथन रहे हैं। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के कथनों में भी शिशपाल के विरुद्ध साक्ष्य दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा शिशपाल के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और अंततः न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिशपाल के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। अभियुक्त का न्यायालय में चालानी गार्ड के रूप में मौजूद होने और घटनास्थल पर उपलब्ध नहीं होने का जो बचाव लिया गया है, वह भी प्रमाणित नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में स्पष्ट है कि अभियुक्त शिशपाल पुलिसकर्मी है, वह तथा अनुसंधान अधिकारी और पर्चा बयान लेने वाले पुलिसकर्मी सभी फतेहपुर में पदस्थ थे और मात्र इस कारण से पुलिस द्वारा अभियुक्त शिशपाल को बचाने के लिए निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई। अतः ऐसी स्थिति में पर्चा बयान प्रदर्श पी-2, जो पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

गया है, उसमें अभियुक्त शिशपाल का नाम उल्लिखित नहीं होना किसी प्रकार से अभियोजन कहानी के लिए घातक नहीं है।

24-- आहत बीरबल द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध बिना किसी विसंगति और विरोधाभास के मौखिक साक्ष्य दी गई है, जिसके अनुसार यह प्रमाणित है कि अभियुक्त चापली आहत बीरबल की पत्नी है तथा वह आहत के साथ नहीं रह रही थी। उसके सह-अभियुक्त शिशपाल से अवैध संबंध थे और इसी पृष्ठभूमि में रंजिशवश दोनों अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में आहत की हत्या कारित करने के आशय से धारदार हथियार गंडासे से अभियुक्त चापली द्वारा मारपीट की गई तथा अभियुक्त शिशपाल द्वारा आहत के दोनों हाथ पकड़कर अभियुक्त चापली द्वारा किए गए कृत्य को सुकर, सुगम और सरल बनाया गया।

25-- हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तों का आशय महत्वपूर्ण है। अभियुक्तों के मन और मस्तिष्क को न्यायालय द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं है। ऐसे मामले में अपराध किन परिस्थितियों में, किस रूप में और किस हथियार से कारित किया गया है और चोटों की प्रकृति क्या रही है, यह सभी तथ्य और आसपास की परिस्थितियां आशय के निष्कर्ष को निकालने हेतु सुसंगत होती हैं। वर्तमान मामले में आहत मवेशी चराने हेतु जंगल में घटनास्थल पर अकेला था और उस परिस्थिति का लाभ उठाकर दोनों अभियुक्तगण योजनाबद्ध तरीके से गंडासे जैसे हथियार से लैस होकर घटनास्थल पर पहुँचे तथा अभियुक्त शिशपाल ने बलपूर्वक आहत के दोनों हाथ पकड़ लिए और सामान्य आशय की पूर्ति में अभियुक्त चापली द्वारा आहत के धारदार हथियार गंडासे से एक से अधिक बार प्रहार कर उसके शरीर के सिर जैसे मार्मिक भाग सहित अलग-अलग भागों पर कुल सात चोटें धारदार हथियार से पहुँचाई गईं, जिनमें से सिर की दो चोटें तथा चेहरे के दाहिने तरफ नाक के ऊपर की एक चोट, कुल तीन चोटें, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 और एक्स-रे प्लेट प्रदर्श पी-8 के अनुसार गंभीर और प्राणघातक पाई गई थीं।

26-- आहत ने भी यह कथन किया है कि दोनों अभियुक्त उसे मरा हुआ घटनास्थल पर छोड़ गए थे और वह किसी तरह अपने बहनोई के घर पर पहुँचा, जहाँ से उसे अस्पताल में पहुँचाया गया। दोनों अभियुक्तों के अवैध संबंध थे और उस पर अभियुक्त चापली के पति आहत बीरबल को आपत्ति थी। अतः घटना कारित करने का हेतु और

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

प्रयोजन रहा है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में अभियुक्तों का मृतक की हत्या कारित करने का स्पष्ट आशय था और इसी अनुसार यह घटना कारित करते हुए आहत पर जानलेवा हमला कारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तों की विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो दोषसिद्धि कायम की गई है, **वह पूर्णतः तथ्यों और विधि के अनुरूप होकर पुष्ट होने और इस बिंदु पर अपील खारिज होने योग्य है।**

27-- जहाँ तक दंडादेश का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तों का निवेदन है कि अभियुक्त शिशपाल पुलिसकर्मी होकर लोक सेवक है तथा अभियुक्त चापली उर्फ चंपा महिला है। अतः ऐसी स्थिति में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। विकल्प में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंड को अत्यधिक बताते हुए यथोचित रूप से घटाए जाने का निवेदन किया।

28-- आपराधिक परिवीक्षा के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा इसी न्यायालय की अन्य समकक्ष पीठ द्वारा एस.बी. क्रिमिनल अपील नंबर 483/93 नवल किशोर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19-02-24 पर आधारित करते हुए निवेदन किया कि धारा 307 भारतीय दंड संहिता के दोषसिद्ध मामले में भी धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है तथा इस संबंध में कोई विधिक बाधा नहीं है।

29-- यह सही है कि नवल किशोर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में अन्य समकक्ष पीठ द्वारा अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के मामले में भी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है, परंतु वर्तमान मामले में आहत को प्राणघातक चोटें कारित हुई हैं। अतः धारा 307 अथवा 307/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरिकिशन बनाम सुखवीर सिंह वगैरह (1988) 4 एस.सी.सी. 551, गोरधन दास बनाम चमनलाल वगैरह (2021) 14 एस.सी.सी. 757 एवं जगदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 3 एस.सी.सी. 412 के मामले में धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता अथवा धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि संबंधित अपराध में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है तो ऐसे मामलों में धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता।

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

इस संबंध में जगदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में पैरा संख्या-4 सुसंगत है, जो निम्नानुसार है:

> "4. अब, अधिनियम की धारा 4 और 6 दोनों स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती हैं कि इन धाराओं का लाभ आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के दोषी पाए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों को जेल के अस्वास्थ्यकर वातावरण से दूर रखना है, जहाँ सामान्यतः कठोर अपराधियों के साथ मिलना-जुलना होता है। यह अधिनियम तुलनात्मक रूप से कम गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए लोगों के सुधार के उद्देश्य से उनके साथ अधिक नरमी से पेश आने का प्रावधान करता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 3, 4 या 6 के तहत हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 या धारा 326/34 के तहत दंडनीय अपराध निर्विवाद रूप से आजीवन कारावास से दंडनीय है। इस प्रकार, धारा 4 और 6 की सामान्य भाषा के अनुसार, अधिनियम का लाभ वर्तमान अपीलकर्ताओं को उपलब्ध नहीं है।"

30-- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त तीनों न्यायिक दृष्टांत तथा धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता अथवा धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों से ही स्पष्ट है कि यदि दोषसिद्ध अपराध में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है तो किसी भी सूरत में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना विधिनुसार संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा नवल किशोर बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए, यह न्यायालय सहमत नहीं है।

31-- जहाँ तक दंड को घटाए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से इस न्यायालय की अन्य समकक्ष पीठ द्वारा एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 389/94 मांगीलाल बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 07-07-22 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण को भुगती सजा पर छोड़ा जाए।

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

अभियुक्त चंपा उर्फ चापली इस मामले में आज तक कुल 45 दिन और अभियुक्त शिशपाल मात्र 5 दिन तक अभिरक्षा में रहा है।

32-- दंडादेश के बिंदु पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1987) 3 एस.सी.सी. 80 के मामले में पैरा संख्या-6 में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है:

> "6. ....ऐसे सबूतों और ऐसे क्रूर कृत्यों का सामना करने पर इन अपीलकर्ताओं को कानून के चरम दंड से बचने की अनुमति देना न्याय का उपहास होगा। अपीलकर्ताओं को कम सजा देना इस देश की न्याय प्रणाली को संदिग्ध बना देगा। आम आदमी का अदालतों से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे मामलों में, वह सुधारात्मक शब्दावली की तुलना में निवारक की भाषा को अधिक समझता और सराहता है। जब हम यह कहते हैं, तो हम सजा सुनाने की प्रक्रिया में एक सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं करते हैं।"

33. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हज़ारा सिंह बनाम राज कुमार (2013) 9 एस.सी.सी. 516 के मामले में पैरा संख्या-10 और 11 में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है:

> "10. .... यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे उचित सजा देने के लिए सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करें। विधायिका ने न्यायपालिका को दंड नीति में यह भारी विवेकाधिकार दिया है, जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। दी गई सजा अपराध की प्रकृति और गंभीरता के सीधे आनुपातिक होनी चाहिए। आनुपातिक सजा का मापदंड न्यायाधीशों को एक निष्पक्ष और निष्पक्ष फैसला देने में मदद कर सकता है।"

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

> "11. दंड नीति का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक अपराधी पर लगाई गई सजा उसके द्वारा किए गए अपराध को दर्शाती है और यह अपराध की गंभीरता के आनुपातिक होनी चाहिए। इस न्यायालय ने कई मामलों में अपराधियों को सजा देने में आनुपातिकता की केंद्रीय भूमिका पर बार-बार जोर दिया है।"

34. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य (2009) 7 एस.सी.सी. 254 के मामले में पैरा संख्या-99 और 100 में निम्न अभिमत प्रकट किया गया है:

> "99. ...उचित सजा देने का उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधियों को उचित सजा देकर कानून के खुले तौर पर उल्लंघन को रोकना होना चाहिए। यह अपेक्षित है कि अदालतें ऐसी सजा देने के लिए दंड प्रणाली का संचालन करेंगी जो समाज की अंतरात्मा को दर्शाती है और जहाँ आवश्यक हो, दंड प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए। ऐसे अपराधों के संबंध में समय बीतने के कारण बहुत उदार या बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना, लंबे समय में प्रति-उत्पादक होगा और समाज के हित के खिलाफ होगा, जिसकी देखभाल और दंड प्रणाली में निहित निवारण की कड़ी से मजबूत होने की आवश्यकता है।"

> "100. न्याय की मांग है कि अदालतें अपराध के अनुरूप दंड दें ताकि अदालतें अपराध के प्रति जनता की घृणा को दर्शा सकें। उचित दंड देने पर विचार करते समय, अदालत को न केवल अपराध के शिकार व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी ऐसे अपराध के लिए उचित

> दंड नहीं दिया जाता है जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ बल्कि उस समाज के खिलाफ भी किया गया है जिससे अपराधी और पीड़ित दोनों संबंधित हैं, तो अदालत अपने कर्तव्य में विफल होगी।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत राजस्थान राज्य बनाम बनवारी लाल (2022) 12 एस.सी.सी. 166 के मामले में, अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए विचारण न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 44 दिन की भुगती सजा पर छोड़ा गया, इस मामले में आहत को गंभीर चोटें कारित हुई थीं। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर गंभीर टिप्पणी करते हुए यह निष्कर्ष दिया गया कि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही अनावश्यक और अनुचित उदारता अपनाते हुए अपर्याप्त दंड से दंडित किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा 44 दिन की भुगती सजा पर अभियुक्त को छोड़ा जाना उचित नहीं था और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपसारित करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया गया। उपरोक्त निर्णय के पैरा संख्या 13, 14, 15 और 17 सुसंगत हैं, जो निम्नानुसार हैं:

> 13. विचाराधीन मामले में, यह सिद्ध हो गया है कि पीड़ित फूलचंद को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से, यानी सिर पर गंभीर चोट लगी थी और खोपड़ी में फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने भी यह राय दी है कि चोट जानलेवा थी और घायल फूलचंद को लगी चोट, प्रकृति के सामान्य क्रम में, मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान से, और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या का दोषी होता, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो अपराधी या तो आजीवन

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

कारावास से या धारा 307 भारतीय दंड संहिता में वर्णित ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त को आजीवन कारावास और/या कम से कम दस साल तक की सजा दी जा सकती थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त बनवारी लाल को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसलिए, इस तरह, विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल तीन साल के कठोर कारावास की सजा लगाते समय पहले ही बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया था। इसलिए, उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

14. यद्यपि उच्च न्यायालय ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से इस प्रस्तुति पर विचार किया है कि घटना 31.03.1989 को हुई थी, यानी लगभग 26 साल पहले; कि वे पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे; और जब घटना हुई थी, तब वे युवा थे और अब वे वृद्ध व्यक्ति हैं। उपर्युक्त किसी भी उचित और/या पर्याप्त सजा को देते समय एकमात्र S विचार नहीं हो सकता है। अभियुक्त की ओर से इस प्रस्तुति के संबंध में भी कि धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत कोई न्यूनतम सजा नहीं है और सजा दस साल तक होगी, इसका उत्तर यह कहकर दिया गया है कि विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए और सजा आनुपातिक रूप से लगाई जानी चाहिए और किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए और ऊपर संदर्भित सजा देने के सिद्धांतों पर विचार करके।

15. **केवल इसलिए कि अपील का फैसला होने तक एक लंबी अवधि बीत गई है, यह ऐसी सजा देने का आधार नहीं हो सकता है जो असंगत और अपर्याप्त हो।** उच्च न्यायालय ने उन प्रासंगिक कारकों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो उचित/उपयुक्त दंड/सजा लगाते समय आवश्यक थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

> न्यायालय ने सबसे लापरवाह तरीके से अपील का निपटारा किया है। उच्च न्यायालय ने शॉर्टकट अपनाकर अपील का निपटारा किया है। जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा किया है, वह अत्यधिक निंदनीय है।
>
> 17. हम शॉर्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों का निपटारा करने की ऐसी प्रथा की निंदा करते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसमें अभियुक्त बनवारी लाल के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास से सजा को पहले ही भुगती गई अवधि (44 दिन) तक कम कर दिया गया है, बिल्कुल अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

36-- उपरोक्त विधिक व्यवस्था को देखते हुए स्पष्ट है कि दंडादेश पारित करते समय अनावश्यक उदारता या सहानुभूति का रुख अपनाया जाना उचित नहीं है, बल्कि पर्याप्त और यथोचित दंड पारित किया जाना अपेक्षित है। अपर्याप्त दंडादेश से समाज में गलत संदेश जाता है, न्यायिक व्यवस्था से आम नागरिक का विश्वास समाप्त होता है, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है तथा कानून व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

37-- वर्तमान मामले में अभियुक्त चापली आहत की पत्नी है, जिसका सह-अभियुक्त शिशपाल से अवैध संबंध होने का आरोप रहा है। अभियुक्त शिशपाल पुलिसकर्मी था, जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व था, वह न केवल अनैतिक गतिविधियों में बल्कि गंभीर अपराध में लिप्त रहा है। अभियुक्त चापली द्वारा इस पृष्ठभूमि में अपने पति की हत्या कारित करने का प्रयास कर एक से अधिक बार प्रहार कर प्राणघातक चोटें पहुँचाई हैं तथा इस कारण से आहत को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़ा है। अभियुक्त चापली द्वारा पति-पत्नी के पावन और विश्वासपूर्ण रिश्ते को कलंकित करने का कृत्य किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों, एक से अधिक प्राणघातक चोटें, प्रहार की पुनरावृत्ति तथा आहत को मरा हुआ छोड़कर मौके से दोनों अभियुक्तों का चले जाना इस अपराध को गंभीर और जघन्य बनाता है। दोषसिद्ध अपराध में आहत के

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

चोटें आने के कारण से अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसके मुकाबले विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

38-- वर्तमान मामले में एकमात्र आहत बीरबल के साथ एक ही हथियार से मारपीट तथा प्रहार की पुनरावृत्ति का मामला है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को जब धारा 307 अथवा 307/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दंडित किया जा रहा है तो धारा 71 भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को देखते हुए अभियुक्त चापली उर्फ चंपा को धारा 326 व 324 भारतीय दंड संहिता और अभियुक्त शिशपाल को धारा 326/34 व 324/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में पृथक से दंडित किया जाना उचित नहीं है।

39-- जहाँ तक धारा 307 अथवा 307/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दंडादेश का प्रश्न है, जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, अभियुक्तों को अधिकतम 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। यद्यपि यह दंडादेश अत्यधिक और अनुचित नहीं कहा जा सकता, परंतु यह तथ्य भी सुसंगत है कि घटना आज से 33 वर्ष पुरानी दिनांक 30-01-93 की है। अभियुक्तगण पिछले 33 वर्षों से अधिक समय से न्यायालयीन प्रक्रिया की यंत्रणा भुगत रहे हैं। अभियुक्त शिशपाल और अभियुक्त चापली की आयु क्रमशः 63 वर्ष और 51 वर्ष हो चुकी है, उनके विरुद्ध पूर्ववर्ती दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अतः संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह कठोर कारावास तीन वर्ष तक घटाए जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, अतः इसी अनुरूप दंडादेश उपांतरित होने योग्य है।

40-- उपरोक्त विवेचनानुसारः

(ए) अभियुक्त चापली उर्फ चंपा और अभियुक्त शिशपाल की दोषसिद्धि के बिंदु पर यह अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27-02-93 की पुष्टि की जाती है।

(बी) दंडादेश के बिंदु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अभियुक्त चापली को धारा 326 व 324 भारतीय दंड संहिता के अपराध में तथा अभियुक्त शिशपाल

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(

को धारा 326/34 व 324/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा जो दंडादेश पारित किया गया है, उसे अपसारित किया जाता है।

(सी) अभियुक्त चापली उर्फ चंपा को धारा 307 तथा अभियुक्त शिशपाल को धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में विचारण न्यायालय द्वारा पाँच-पाँच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है, उसे तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तक घटाते हुए उपांतरित किया जाता है। अर्थदंड का दंडादेश और दंडादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

41-- कार्यालय द्वारा उपरोक्तनुसार संशोधित सजा वारंट तैयार किया जावे तथा निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलंब विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

42-- दोनों अभियुक्तगण चूँकि आज अनुपस्थित हैं, अतः सजा भुगतने हेतु 15 दिन में विचारण न्यायालय में समर्पित किए जाने का निर्देश दिया जाता है। अभियुक्तों के 15 दिन में समर्पण नहीं किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सजा भुगताई जाएगी।

(उमा शंकर व्यास), न्यायाधीश

मुरारी / आरक्षित

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

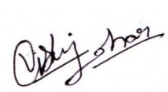

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(29/05/2025 को 12:10:57 PM पर डाउनलोड किया गया(